प्रकरण संख्या 23/2019 RCMS ID-2019/00165 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री अनूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाट निवासी पुरानी ट्रक यूनियन, करौली हाल आबाद ग्राम तरगवां थाना भुसावर तहसील बैर जिला भरतपुर – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–06.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री अनूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाट निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली हाल आबाद ग्राम तरगवां थाना भुसावर तहसील बैर जिला भरतपुर ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 28.11.2008 जिसके द्वारा श्री अनूपसिंह का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 78/10 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 24.12.2010 को निर्णय पारित करते हुये श्री जाट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री अनूपसिंह को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री अनूपसिंह को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलंबित करते समय उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अंत में श्री अनूपसिंह को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया किन्तु समय पर शस्त्र थाने में जमा नही करवाया गया। शस्त्र अनुज्ञापत्र को खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 08.06.2008 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया गया था किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा समय पर शस्त्र थाने में जमा नही करवाया गया है तत्समय् गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिला करौली क्षेत्र के अतिरिक्त जिला भरतपुर, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर आदि में आरक्षण का आंदोलन काफी तीव्र गति से हुआ जिसमें समस्त प्रकार के शस्त्र थानों में जमा करवाया जाना आवश्यक था किन्तु इनके द्वारा जानबूझकर शस्त्र तत्समय् जमा नही करवाया गया था जो विधि विरूद्ध है साथ ही जिला

पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट से हम सहमत नही है। ऐसी स्थिति में हम श्री जाट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री अनूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाट निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली हाल आबाद ग्राम तरगवां थाना भुसावर तहसील बैर जिला भरतपुर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16/एसडब्ल्यूएम/88 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 13:57:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: